**कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।**

**संख्याः—ई0सी0—1,एस0सी0—2/2021/2347** **दिनांक 31 मार्च,2021**

## नोटिस

लाला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के विभिन्न विभागो/ट्रामा सेन्टर/पी.एम.एस.एस.वाई. के विभिन्न विभागो में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 07—04—2021 को "**वाक—इन—इन्टरव्यू**"(Walk-in-interviw) आहूत किये जाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ प्रेषित किया गया था, उक्त विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2021 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, चूकि शासन/महानिदेशालय द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश के अनुसार विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में साक्षात्कार दिवस से कम से कम 21 दिन पूर्व होनी आवश्यक हैं एवं उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव होने के कारण आचार सहित लागू हैं।

अतः आचार सहित लागू होने के कारण उक्त साक्षात्कार दिनांक 07—04—2021 के स्थान पर दिनांक **05—05—2021(दिन बुधवार)** को प्रधानाचार्य कार्यालय में आहुत किया जायेगा। साथ ही साथ सीनियर रेजिडेन्टस/डिमोट्रेटर/जूनियर रेजीडेन्ट्स/नॉन पी.जी.जूनियर रेजीडेन्ट्स(क्लीनिकल विभाग) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक **05—05—2021 को** एवं उसके उपरान्त माह के प्रत्येक बुधवार(राजपत्रित अवकाश को छोडकर) को "**वाक—इन—इन्टरव्यू**"(Walk-in-interviw) आहूत किये जायेगे।

विस्तृत सूचना एवं रिक्त पदों का विवरण मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाइट **www.llrmmedicalcollege.nic.in.** एवं मेडिकल कालेज, मेरठ के सूचना पट पर देखी जा सकती हैं।

**प्रधानाचार्य,**
**ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,**
**मेरठ।**

**संख्याः—ई0सी0—1,एस0सी0—2/2021/2347** **तद्दिनांकः**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3 समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4. प्रभारी अधिकारी, वेवसाइड, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. मेडिकल कालेज मेरठ के सूचना पट पर चस्पा करेने।

**प्रधानाचार्य,**
**ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,**
**मेरठ।**

Mr Gautam (website) for compliance 06/04/2021.

कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

संख्याः–ई0सी0–1/2021/1791 दिनांक 19 मार्च, 2021

## संविदा के आधार पर सेवा योजन हेतु विज्ञप्ति

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः–एम0ई0–2/2015/1918 लखनऊःदिनांक 21 सितम्बर, 2015 एवं संख्याः–एम0ई0–2/2015/2123 लखनऊःदिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के आदेशानुसार एवं शासनादेश संख्याः–4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेशः–सी0एम0–03/71–1–2014–जी–63/08 दिनांक 22 जनवरी, 2015 के कम में एम0सी0आई0 के मानकों की पूर्ति हेतु मेडिकल कालेज, मेरठ के विभिन्न विभागों, पी0एम0एस0एस0वाई0 एवं ट्रामा सेन्टर के रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन **"वाक–इन–इन्टरव्यू"**(Walk-in-interviw) पद्धति से नियुक्त हेतु चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ में **दिनांक 07–04–2021** को **प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे** के मध्य उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही हैं। अभ्यार्थियों को यह भी सूचित किया जाता हैं कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्वःप्रमाणित) छायाप्रतियों का दो सेट बायोडाटा सहित लायेगे।

**ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ में दिनांक 17–02–2020 के साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अर्ह पाये गये अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश महानिदेशालय/शासन के द्वारा निर्गत होने की प्रत्याशा में उन पदों को छोडकर शेष रहे विभिन्न विभागों, पी0एम0एस0एस0वाई0 एवं ट्रामा सेन्टर के रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत हैं:–**

| क्र. सं. | विशिष्टता | आचार्य | | | | सह आचार्य | | | | सहायक आचार्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | OBC | SC | EWS | UR | OBC | SC | EWS | UR | OBC | SC | EWS |
| 1 | आर्थोपेडिक्स | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – |
| 2 | आर्थोपेडिक्स (ट्रामा) | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | आप्थलमोलॉजी | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – |
| 5 | एनाटामी | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – |
| 6 | एनेस्थीसियोलॉजी | – | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | 01 |
| 7 | एनेस्थीसियोलॉजी (ट्रामा) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी | – | 01 | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | कम्युनिटी मेडिसिन | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | 01 | – |
| 10 | कार्डियोलॉजी | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 | – | 01 | – | – |
| 11 | कार्डियो–वैस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – |
| 12 | जनरल मेडिसिन | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 01 | 01 | 01 |
| 13 | जनरल सर्जरी | 01 | – | – | – | – | – | – | – | 02 | 01 | – | – |
| 14 | जनरल सर्जरी(ट्रामा) | – | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – |
| 15 | ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – |
| 16 | ट्रासफ्यूजन मेडिसिन | – | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 01 |
| 17 | डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – |
| 19 | न्यूरोलॉजी | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – | 01 | – | – |
| 20 | नेफ्रोलॉजी | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – |
| 21 | प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | पीडियाट्रिक्स | – | – | 01 | 01 | – | 01 | 01 | 01 | – | – | – | – |
| 23 | पीडियाट्रिक्स सर्जरी | 01 | – | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – |
| 24 | पैथोलॉजी | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | फार्माकोलॉजी | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | 01 |
| 26 | फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलटैशन | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – |
| 27 | फोरेन्सिक मेडिसिन | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | बायोकैमिस्ट्री | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | 01St | – |
| 29 | माइक्रोबायोलॉजी | – | – | – | – | 01 | 01 | – | – | – | – | – | – |
| 31 | रेडियोडाग्नोसिस | – | 01 | – | – | 01 | 01 | – | – | 01 | – | 01 | 01 |
| 32 | रेडियोथेरेपी | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | 01 | – | – |
| 33 | साइकेट्री | – | – | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | – |
| 34 | ह्यूमन मेटाबॉलिज्म | – | – | – | – | 01 | – | – | – | 01 | – | – | – |
| | योग | 04 | 08 | 05 | 03 | 06 | 09 | 07 | 03 | 06 | 08 | 09 | 05 |

उक्त पदो पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैः–

1. शासनादेश संख्याः–119/2018/2842/71–2–2018–33/2018 लखनऊःदिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य(कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू0 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक(Remuneration) प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के अनुसार होगी।
2 संवदिा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,35,000/–, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 1,20,000/–, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90,000/– प्रतिमाह हैं। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions regulations. 1998, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018, दिनांक 07 जून, 2019 एवं 16 अगस्त, 2019 के द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं। डेण्टेस्ट्री की विशिष्टता में भी पी0जी0डिग्री धारक अभ्यार्थी ही आवेदन कर सकता हैं।
3. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को पद हेतु निर्गत किए जाने वाले शासनादेश में उल्लिखित एवं निहित शर्तो को पूर्ण करना होगा। संविदा पर सहायक आचार्य पद की नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट होगी, सह आचार्य के पद हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य के पद हेतु 68 वर्ष आयु सीमा के अभ्यर्थी ही अभ्यर्थन कर सकते हैं।
4. चिकित्सा शिक्षक की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नही करेगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जाएगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिऐ किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नही होगा।
14. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नही होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती हैं।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17 अभ्यर्थी की इस शैक्षिक वर्ष में एम0सी0आई0 के किसी भी निरीक्षण में इस कालेज के अतिरिक्त गणना न की गयी हो।
18. यदि उपरोक्त रिक्त पदों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अथवा एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले घटित हो, को नियुक्त किया जायेगा।
19. फार्मेसी विभाग में नियमावली, 2005 के अनुपालन में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति से पूर्व तीन वर्ष का प्रवक्ता पद का अनुभव आवश्यक है।
20. पदों की संख्या घट या बढ सकती हैं।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्याः–ई0सी0–1/2021/1791
तद्दिनांक 12/3/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेवसाईट पर अपलोड करादेवे।
3 समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेजों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
4 प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादेवे।
5 सूचना पट।
6 आदेश पुस्तिका।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।